

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या - 3/स्था०(1) 05/2022 -

/ पटना - 15, दिनांक -

सूचना के अधिकार विषयांतर्गत मामलों हेतु श्री विक्रम विकास, प्रशाखा पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

संख्या - 3/स्था०(1) 05/2022 -

/ पटना - 15, दिनांक -

प्रतिलिपि - अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/लोक सूचना पदाधिकारी, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 से 6A, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

संख्या - 3/स्था०(1) 05/2022 -

1498

/ पटना - 15, दिनांक - 27/03/2025

प्रतिलिपि - आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/03/25

सरकार के अवर सचिव।